**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2961**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के भर्ती घोटाले में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट**

**2961. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और दिल्ली उच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 7 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) में भर्ती घोटाले के संबंध में दायर की गई शिकायतों के संबंध में दिल्ली पुलिस के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है; और**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि नेशनल काउंसिल फॉर कोपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी) में व्याख्याता की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं के मामले में नियम-विरूद्ध कार्य करने वालों को बचाने में शामिल एनसीसीटी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने हेतु दिनांक 07.12.2017 को कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से संसद मार्ग पुलिस थाना नई दिल्ली जिला में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। अब तक कोई एफआईआर पंजीकृत नहीं की गयी है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की है तथा पाया कि इसमें अंतर-राज्य आयाम हो सकते है। यह जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गयी है।

\*\*\*\*\*